उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

संख्या-52/2016/1651/92-2-16-06(जांच)/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 29 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा में अधिशासी अभियंता के पद का कार्यभार निर्वहन के समय डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों पर उपलब्ध कन्टीजेन्सी मद की धनराशि कार्यादेशों द्वारा अधिशासी अभियंता कार्यालय भवन की रंगाई-पुताई, सेनेट्री एवं वाटर सप्लाई कार्यो पर व्यय कर वित्तीय अनियमितता किये जाने तथा अधिशासी अभियंता के रूप में सौपे गये दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से न करने के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री एम0सी0 शर्मा, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा (वर्तमान में प्रखण्ड-बुंलदशहर) के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली को जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या(दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-52/2016/1651(1)/92-2-16 तददिनांकित।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की जांच आख्या पत्रांक-जी-35/एस0टी0'-सी0टी0ई0-/2722-145/17/2015-16 दि0 17.06.2016 की छायाप्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित है कि श्री एम0सी0 शर्मा, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा (वर्तमान में प्रखण्ड-बुलंदशहर) के विरूद्ध आरोप पत्र के आलेख की 03 प्रतियॉ शासन को कृपया 01 सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली।

3- श्री एम0सी0शर्मा, तत्का0 अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-मथुरा(वर्तमान में प्रखण्ड बुलंदशहर) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।

4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संलग्नक-यथोक्त।

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in